

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

O.A. No. 135 OF 2026

IN THE MATTER OF: -

Ashish Singh

...Applicant

Versus

State of U.P. & Others

...Respondents


NDOH – 18.05.2026

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of the Respondent No. 3 Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-3
2.	ANNEXURE R/1 A true copy of the inspection report dated 13.05.2026 for the inspection being conducted on 18.04.2026	4-15
3.	ANNEXURE R/2 A true copy of the letter dated 24.04.2026 by the Respondent No. 3 to Respondent no. 4	16
4.	ANNEXURE R/3 (COLLY) A true copy of the letter dated 11.05.2026 alongwith its attachments	17-25
5.	ANNEXURE R/4 A true copy of the letter dated 12.05.2026	26

Uttar Pradesh Pollution Control Board

Through



AMIT SHUKLA

Advocate for the UPPCB

Office at : D- 54, Sector – 48, Noida – 201303

Email: amit.shukla@lexweb.in

Ph. No. +91 9999933220; 9999333220

Place: New Delhi

Date: 15.05.2026

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 135 OF 2026

IN THE MATTER OF:

Ashish Singh

..... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

... Respondents

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 3, UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

I, J.P Maurya, S/o Sh. Darbari Lal Maurya aged about 57 years, presently posted as the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board at Lucknow do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That this Hon'ble Tribunal has vide its order dated 17.03.2026 issued notice the Respondents with the following direction:

"In view of the facts and circumstances of the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted with direction to verify the factual position and to suggest appropriate remedial measures and to send copies of its report to the concerned authorities for taking appropriate action in accordance with environmental laws/norms applicable to the activity in question. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate, Lucknow and direct the same to undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent,

J.P.

verify the factual position and suggest appropriate remedial action and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law and Principles of Natural Justice by giving opportunity of being heard to the concerned project proponent and to submit action taken report within next one month.

3. That in compliance of directions passed by this Hon'ble Tribunal, a joint committee was constituted and a letter dated 15.04.2026 was sent to the Project Proponent for the proposed inspection on 18.04.2026. The joint inspection of the site was conducted on 18.04.2026. A true copy of the inspection report dated 13.05.2026 for the inspection being conducted on 18.04.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure R3/1**.
4. That the Board has vide its letter dated 24.04.2026 sought details of the project from Respondent No. 4 Municipal Corporation, Lucknow. The Respondent No. 4, Municipal Corporation, Lucknow has vide its letter dated 11.05.2026 to the Respondent No. 3, apprised the details pertaining to the project in question. A true copy of the letter dated 24.04.2026 by the Respondent No. 3 to Respondent No. 4 is annexed herewith and marked as **Annexure R3/2**
A true copy of the letter dated 11.05.2026 along with its attachments is annexed herewith and marked as **Annexure R3/3(colly)**.
5. That the Respondent No. 3 has vide its letter dated 12.05.2026, directed the Respondent No. 4 to obtain the requisite CTE and CTO as the project also includes washing and servicing of vehicles which falls under Orange Category.



[Signature]

A true copy of the letter dated 12.05.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure R3/4**.



DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Lucknow on this the 14th day of May 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



DEPONENT

Sworn and verified
before me
[Signature]
NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No.-10943/15



I know & identify the deponent/Executant
who has signed/put his T.I. before me
S J. Iqbal Advocate
Reg No 6043/1999
[Signature]

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-135/2026 Ashish Singh Vs. State of U.P. and Others में पारित आदेश दिनांक 17/03/2026 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-135/2026 Ashish Singh Vs. State of U.P. and Others में आवेदक द्वारा लखनऊ के आई०आई०एम० रोड स्थित वार्ड फ़ैजुल्लागंज, चतुर्थ क्षेत्र की बालाजी एन्वलेव कालोनी के अंतर्गत LSA (RAMKY) कम्पनी द्वारा कूड़ा निस्तारण/चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जाने से पर्यावरणीय प्रदूषण एवं जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की शिकायत प्रस्तुत की गयी है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 17/03/2026 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:-

- ".....12. In view of the facts and circumstances of the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted with direction to verify the factual position and to suggest appropriate remedial measures and to send copies of its report to the concerned authorities for taking appropriate action in accordance with environmental laws/norms applicable to the activity in question. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate, Lucknow and direct the same to undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law and Principles of Natural Justice by giving opportunity of being heard to the concerned project proponent and to submit action taken report within next one month.
13. The District Magistrate, Lucknow will be the nodal agency for coordination and compliance regarding submission of the report of the Joint Committee and filing of action taken reports by the concerned authorities.
14. List on 18.05.2026 for further consideration.....

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में संदर्भित प्रकरण में जिला प्रशासन, लखनऊ एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 18/04/2026 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे नियत किया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्रांक संख्या-43/रिट-135/2026 दिनांक 15/04/2026 द्वारा आवेदक-श्री आशीष सिंह, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि लखनऊ स्वच्छता अभियान LSA (RAMKY) श्री अभय रंजन (रीजनल डायरेक्टर) एवं नगर निगम के प्रतिनिधि को संयुक्त निरीक्षण के समय परियोजना के प्रस्तावित स्थल निकट-बालाजी एन्वलेव कालोनी, आई०आई०एम०रोड स्थित वार्ड फ़ैजुल्लागंज-4, लखनऊ में ससमय उपस्थित रहने हेतु पत्र प्रेषित किया गया (संलग्नक-1)।

उक्त के अनुक्रम में परियोजना के प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण नियत दिनांक 18/04/2026 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम के प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार (पर्यावरण अभियन्ता), श्री अभय रंजन (रीजनल डायरेक्टर) लखनऊ स्वच्छता अभियान LSA (RAMKY) एवं शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया। उक्त परियोजना का प्रस्तावित स्थल आई०आई०एम० रोड से लगभग-200 मी० की दूरी पर निकट-बालाजी एन्वलेव कालोनी, आई०आई०एम०रोड स्थित वार्ड फ़ैजुल्लागंज-4, लखनऊ के अंतर्गत स्थित है जिसका अक्षांश एवं देशान्तर 26.93219375, 80.92049465 नोट किया गया। प्रस्तावित स्थल के 100 मी० की त्रिज्यक दूरी में आवासीय एवं कार्मशियल गतिविधियां विद्यमान है।

निरीक्षण के समय स्थल पर परियोजना का बाउण्ड्री वाल व नींव आदि के निर्माण का कार्य होता पाया गया। निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर कोई नगरीय ठोस अपशिष्ट इत्यादि एकत्रित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित शिकायतकर्ता प्रतिनिधि व अन्य समीपस्थ निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में उक्त स्थल पर अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट भण्डारित था जिससे आस-पास के क्षेत्र में दुर्गन्ध की समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिसे वर्तमान में नगर निगम द्वारा हटा दिया गया है तथा उक्त स्थल पर बाउण्ड्रीवाल का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर ठोस अपशिष्ट का भण्डारण नहीं किया जायेगा तथा पर्यावरणीय पहलुओं को संज्ञान लेते हुए स्थल को विकसित कर काम्पैक्ट ट्रांसफर स्टेशन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट को वेस्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट शिवरी में भेजा जायेगा। निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों, शिकायतकर्ता प्रतिनिधि व अन्य समीपस्थ निवासियों की उपस्थिति का विवरण संलग्न है (संलग्नक-2)।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा निकट-बालाजी एन्क्लेव कालोनी, आई0आई0एम0रोड स्थित वार्ड फैंजुल्लागंज-4, लखनऊ में स्थापित की जा रही परियोजना के सम्बन्ध में स्थापित की जा रही व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रस्तावित कार्यों के विवरण सहित आख्या प्रेषित किये जाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को पत्र संख्या-115/ओ0ए0-135/26/26 दिनांक 24/04/2026 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया था (संलग्नक-3)। जिसके अनुक्रम में श्री संजीव प्रधान (पर्यावरण अभियन्ता), नगर निगम, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक संख्या-डी/155/ईई/2026-27 दिनांक 11/05/2026 के माध्यम से परियोजना से सम्बन्धित आख्या एवं श्री डी मास्टर प्लान प्रेषित किया गया है (संलग्नक-4), विवरण निम्नवत् है:-

- वर्तमान में परियोजना निर्माणाधीन है तथा स्थल का विकास कार्य कार्यदायी संस्था मेसर्स लखनऊ स्वच्छता अभियान LSA (RAMKY) द्वारा किया जा रहा है। परियोजना पूर्ण होने पर परियोजना में फिक्स्ड कम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन (FCTS) (क्षमता 100 टन/दिन), जिसमें 03 विद्युत चालित स्थिर कम्पेक्टर तथा 06 कैम्पूल (प्रत्येक की क्षमता 20 घनमीटर) स्थापित किए जाएंगे, जिससे सूखे एवं गीले कचरे का पृथक-पृथक (Compaction) संपीड़न किया जायेगा। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों एवं मैकेनिकल स्वीपर मशीनों की चार्जिंग हेतु पृथक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा।
- परियोजना में वाहन मरम्मत एवं उसके रखरखाव हेतु टूल रूम, सफाई कर्मचारियों हेतु विश्राम कक्ष, वाहनो का धुलाई केंद्र (Vehicle washing centre) तथा कर्मचारियों हेतु शौचालय सहित कैबिन कार्यालय की व्यवस्था की जायेगी।
- परियोजना पूर्ण होने के पश्चात कचरे को बंद कंटेनरों में सीमित अवधि (4-5 घंटे) तक रखा जाएगा, तत्पश्चात उसका स्थानांतरण किया जाएगा। इससे खुले में कचरा डंपिंग अथवा लंबे समय तक कचरा संचयन नहीं होगा।
- ट्रांसफर स्टेशन में कम्पेक्शन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न लीचेट को एकत्रित करने हेतु पृथक ड्रेनेज सिस्टम स्थापित किया जाएगा। यह लीचेट बंद भूमिगत टैंक में संग्रहित किया जाएगा। तत्पश्चात सक्शन मशीनों द्वारा शिवरी लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्धिकरण हेतु भेजा जाएगा।
- पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने हेतु स्टेशन की आंतरिक परिधि पर 6 फीट चौड़ी ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। आसपास की कॉलोनी एवं सड़क के लिए दृश्य एवं धूल अवरोधक





15


के रूप में 10 फीट ऊँची बाउंड्री वाल का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय लोगों के हित में समीप स्थित खाली भूमि पर एक छोटा पार्क विकसित किया जाएगा।

➤ स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु नगर निगम क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिससे नगर निगम वाहनों एवं आम जनता के लिए यातायात सुगम हो सके।


प्रश्नगत प्रोजेक्ट जिस स्थल पर स्थापित किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि का स्वामित्व नगर निगम के पास है और नगर निगम को उसके व्यवस्थापन का अधिकार प्राप्त है।

उपरोक्त आख्या से स्पष्ट है कि परियोजना में सालिड वेस्ट को कम्पैक्ट करने के अतिरिक्त वाहनों की सर्विसिंग एवं धुलाई केन्द्र (washing centre) भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या-CP-18/1/2023-IPC-VI-HO-CPCB-HO दिनांक 12/02/2026 के माध्यम से उद्योगों को श्रेणीवार विभाजित किया गया है, जिसके अन्तर्गत वाहनों की सर्विसिंग एवं वाहनो की धुलाई केंद्र (वाशिंग सेण्टर) गतिविधि सूची के क्रम संख्या-5.2 पर Railway locomotive work shop/ Integrated road transport workshop/ Authorized service centers (wastewater generation <10 KLD) आरेन्ज श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है, जिसके स्थापना हेतु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई) प्राप्त नहीं की गयी है, जबकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व स्थापनार्थ सहमति (CTE) एवं संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति जल/वायु (CTO) प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त के सम्बन्ध में पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ को बोर्ड के पत्रांक संख्या-193/रिट याचिका-266/2026 दिनांक 12/05/2026 के माध्यम से पर्यावरणीय अधिनियमों के अनुपालन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है (संलग्नक-5)।


उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-135/2026 Ashish Singh Vs. State of U.P. and Others में पारित आदेश दिनांक 17/03/2026 के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण की संयुक्त निरीक्षण आख्या सादर प्रस्तुत है।


(सत्य शिरोधार्य)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ


13/05/26

(जे0पी0 मोर्य)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ


13/5/2026
(ज्ञान चन्द्र गुप्ता)
नगर मजिस्ट्रेट,
लखनऊ

पत्रांक 42/RG-125/2026

दिनांक 15-4-26

सेवा में,

श्री आशीष सिंह,
निवासी-गली संख्या 2,
मुतकिपुर बाबाजी एन्क्लेव,
रेजिडेंशियल सोसाइटी नियर एस.डी. पैलेस,
वार्ड फौजुल्लागंज-4, लखनऊ।


श्री अभय रंजन,
रीजनल डायरेक्टर, मो0 नं0-9650409990,
मैसर्स लखनऊ स्वच्छता अभियान प्रा0लि0,
सेक्टर-4, गोमती नगर, मलेसेमऊ, लखनऊ।

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-135/2026 Ashish Singh Vs. State of U.P. and Other में पारित आदेश दिनांक 17/03/2026 के सम्बन्ध में।

महोदय,



कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-135/2026 Ashish Singh Vs. State of U.P. and Others में पारित आदेश दिनांक 17/03/2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा लखनऊ के आई0आई0एम0 रोड स्थित वार्ड फौजुल्लागंज, चतुर्थ क्षेत्र की बालाजी एन्क्लेव कालोनी के अंतर्गत LSA (RAMKY) कम्पनी द्वारा कूड़ा निस्तारण/चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जाने से पर्यावरणीय प्रदूषण एवं जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की शिकायत प्रस्तुत की गयी है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/03/2026 के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के अधिकारियों के साथ संदर्भित शिकायती स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 18/04/2026 को समय 11 AM बजे किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे (आवेदक-आशीष सिंह, कार्यदायी संस्था-मैसर्स लखनऊ स्वच्छता अभियान प्रा0लि0 एवं परियोजना प्रस्तावक-नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि) अपेक्षा की जाती है कि निरीक्षण के समय संदर्भित कूड़ा निस्तारण स्थल बालाजी एन्क्लेव कालोनी, आई0आई0एम0 रोड स्थित वार्ड फौजुल्लागंज-4, लखनऊ पर समसय उपस्थित रहने का कष्ट करें, जिससे मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशानुक्रम में प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए संयुक्त आख्या मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।


15/04/26
(ज्ञान चन्द्र गुप्ता)
नगर मजिस्ट्रेट
लखनऊ

प्रतिलिपि:-

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निरीक्षण के समय उपस्थित रहने हेतु प्रतिनिधि नामित करने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित से समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित तिथि व समय पर स्वयं उपस्थित रहें।
3. पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


नगर मजिस्ट्रेट
लखनऊ


Joint Inspection dated 18.04.2026 attendance sheet and related photographs



मा० राठौर^{द्वारा} अधीकरण नई दिल्ली द्वारा O.A.M. 135/2026
 आशुषिण्ड कनाथ उल्लव प्रेश राज्य व अन्य में पार्टी
 उपदेश दि० 13/03/26 के अनुपालन में आज दि०-18/04/26
 को प्राप्त ॥ वैसे शिक्षण स्थल का निरीक्षण किया गया
 जिसमें मा० म०१ द्वारा गठित कमेटी के सदस्य, नगर
 मा० लखनऊ, पर्यावरण अधीकरण नगर निगम लखनऊ, क्षेत्रीय
 अधिकारी उल्लव प्रेश प्रदूषण व निपटारा बोर्ड लखनऊ,
 श्री अभय रंजन, क्षेत्रीय निरीक्षक, लखनऊ स्वच्छ अभियान
 व शिक्षणकर्ता के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिसकी उपस्थित
 सफल है, निम्न-सूचीत है —

क्रमांक	नाम	पता/विभाग	मो.नं.	हस्ताक्षर
1-	सोनुअमाथी	बापजीरकलेव	7355701282	
2-	Mayank	Bolaji Enclave	8707327065	
3-	PARUL MOHAN	" "	7318395999	
4.	नेथर उमर	" "	81730.62898	
5	रवि शिवा	" "	9950009006	
6.	Sanjeer Pradhan	Env. Engg. LMC	8726796666	
7.	J.P. Sharma	RO, UP Pollution Control Bd	9794763180	
8.	Madhan J. Mishra	Zonal Head	9534208284	
9.	Abhay Ranjan	R.O. LSI	9650404999	

18/4/2026
C.M. LKO.



Construction Site Photographs





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

क्षेत्रीय कार्यालय

Regional Office

संदर्भ सं०

Ref. No. 115/ओ०ए०/१३५/२०/२६

दिनांक :

Dated 24-4-28

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।


विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-135/2026 Ashish Singh Vs. State of U.P. and Others में पारित आदेश दिनांक 17/03/2026 के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-135/2026 Ashish Singh Vs. State of U.P. and Others में पारित आदेश दिनांक 17/03/2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा लखनऊ के आई०आई०एम० रोड स्थित वार्ड फैंजुल्लागंज, चतुर्थ क्षेत्र की बालाजी एन्क्लेव कालोनी के अंतर्गत LSA (RAMKY) कम्पनी द्वारा कूड़ा निस्तारण/चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जाने से पर्यावरणीय प्रदूषण एवं जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की शिकायत प्रस्तुत की गयी है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/03/2026 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी द्वारा नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ के साथ पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ की उपस्थिति में संदर्भित शिकायती स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 18/04/2026 को किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम की कार्यदायी संस्था मैसर्स लखनऊ स्वच्छता अभियान प्रा०लि० द्वारा स्थल विकास का कार्य प्रगति पर पाया गया। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि श्री अभय रंजन, रीजनल डायरेक्टर, मो० नं०-9650409990 द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में प्रश्नगत स्थल पर इलेक्ट्रिकल वाहनों के चार्जिंग स्टेशन व नगरीय ठोस अपशिष्ट कम्पैक्टर एण्ड ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि शिकायती स्थल पर नगर निगम, लखनऊ द्वारा स्थापित की जा रही व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण व पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रस्तावित कार्यों के विवरण सहित सूचनायें नगर निगम, लखनऊ से प्राप्त कर ली जाये, जिससे संकलित सूचनाओं सहित वास्तविक आख्या मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि उक्त वर्णित सूचनायें इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रकरण पर अगली सुनवायी दिनांक 18/05/2026 नियत है।

भवदीय


(जे०पी० मौर्य)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1-नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी



NAGAR NIGAM LUCKNOW

From, Environment Engineer Lucknow Municipal Corporation Triloknath Marg, Lucknow	To, The Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
Letter No.: - <u>D/ISS/EE/26-27</u>	Date: <u>11 May 2026</u>
Subject: - Regarding compliance with the order dated 17/03/2026 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A. No. 135/2026 (Ashish Singh & Ors. vs. State of U.P. & Ors.).	

Reference: Your office letter no. 115/AO135/26/26 dated 24/04/2026.

Respected Sir,

With reference to your letter cited above and the joint inspection conducted on 18/04/2026 at the site located near Balaji Enclave Colony, Ward Fazullaganj-IV, IIM Road, please find the detailed information regarding the proposed facilities and the environmental safeguards:

1. **Joint Inspection and Public Briefing:** In compliance with the Hon'ble NGT's directions, a joint inspection was conducted on 18/04/2026 under the supervision of the City Magistrate, Lucknow, representing the District Administration. The undersigned (Environment Engineer, LMC) was present during the inspection alongside the Regional Officer, UPPCB. During this process, the comprehensive project proposal was shared with the committee members of the Balaji Enclave Colony, who were briefed on the technical specifications and the environmental safeguards planned for the site.
2. **Attendance of Representatives:** The site development work is being carried out by the concessionaire, M/s Lucknow Swachhata Abhiyan (RAMKY). Their representative, Mr. Abhay Ranjan (Regional Director), was also present during the inspection to provide clarifications on the project components.
3. **Future Capacity and Infrastructure:** While the site is currently under development, it is designed to include the following facilities upon completion:

- **Fixed Compactor Transfer Station (FCTS):** The facility will have an approximate capacity of 100 TPD.
 - **Machinery:** It will be equipped with 03 electric stationary compactors and 06 capsules (each with a 29 m³ storage capacity), allowing for separate compaction of dry and wet waste.
 - **Charging Station:** A dedicated station for charging door-to-door waste collection vehicles and mechanical sweepers.
 - **Maintenance & Welfare:** The site will include a small tool room for vehicle maintenance and repair, a rest room for sanitary workers, a vehicle washing station, and a porta-cabin office with toilet facilities for workers.
 - **Authorization and Land Ownership:** It is formally clarified that this facility is being established by the authorized concessionaire, acting under the express instructions and directives of the Lucknow Municipal Corporation (LMC). Furthermore, the project is being developed on Urban Ceiling Land owned by the LMC. On this land, a transfer station and charging points are being constructed in accordance with regulatory requirements and prevailing rules, both of which are fully authorized for public utility purposes.
4. **Proposed Operational Mechanism:** Upon completion, waste will be stored in closed containers for a limited duration (4–5 hours) before transfer, preventing any open dumping or long-term accumulation.
5. **Environmental & Leachate Protection:** The completed station will feature a dedicated drainage system to capture leachate during the compaction process. This leachate will be collected in a closed underground tank and subsequently transported via sucker machines to the Shivri Leachate Treatment Plant for scientific disposal.
6. **Technical Capacity:** The facility is designed for a capacity of approximately 100 TPD. It will be equipped with three electric stationary compactors and six capsules (29m³ each) to ensure the separate handling of dry and wet waste.
7. **Green Initiatives & Screening:** To mitigate environmental impact, the following measures will be completed:
- A 6-foot wide green belt will be developed along the internal periphery of the station.
 - A 10-foot high boundary wall will be constructed to provide a visual and dust barrier for the surrounding colony and roadside.



- LMC will develop a small park on the adjacent barren land for the benefit of the local community.
- 8. Infrastructure Improvement:** To address local concerns, LMC is preparing a proposal for road widening in the area to ensure smooth traffic movement for both municipal vehicles and the public.

Enclosures:

1. Attendance Sheet and Photographs of the joint site inspection dated 18/04/2026.
2. 3D Master Plan/Drawing and technical specifications of the under-construction Transfer Station at SD Palace /Balaji Enclave.

This information is submitted for your perusal so that a factual and comprehensive report can be presented before the Hon'ble National Green Tribunal.

Regards


(Sanjeev Pradhan)
Environment Engineer
Lucknow Municipal Corporation

Copy to (For your kind information) :-

1. Municipal Commissioner, LMC.
2. Additional Municipal Commissioner (PS), LMC.


Environment Engineer
Lucknow Municipal Corporation



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

Annexure-5 15

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

सन्दर्भ सं०-193/रिड मायिका-266/26

दिनांक-19-5-26

सेवा में,

पर्यावरण अभियन्ता,
नगर निगम,
लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-135/2026 Ashish Singh Vs. State of U.P. and Others में पारित आदेश दिनांक 17/03/2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या-डी/155/ईई/2026-27 दिनांक 11/05/2026, जोकि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 24/04/2026 के अनुक्रम में प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया कि परियोजना स्थल निकट-बालाजी एन्क्लेव कालोनी, आई०आई०एम०रोड स्थित वार्ड फैंजुल्लागंज-4, लखनऊ में नगरीय ठोस अपशिष्ट के फिक्स्ड कम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन (FCTS) (क्षमता 100 टन/दिन), 03 विद्युत चालित स्थिर कम्पेक्टर तथा 06 कैप्सूल (प्रत्येक की क्षमता 20 घनमीटर) स्थापित किये जाने के साथ-साथ परियोजना में वाहनों की सर्विसिंग एवं वाहनो की धुलाई केंद्र (वाशिंग सेण्टर) भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया अवगत हों कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या-CP-18/1/2023-IPC-VI-HO-CPCB-HO दिनांक 12/02/2026 के माध्यम से उद्योगों को श्रेणीवार विभाजित किया गया है, जिसके अन्तर्गत वाहनों की सर्विसिंग एवं वाहनो की धुलाई केंद्र (वाशिंग सेण्टर) गतिविधि सूची के क्रम संख्या-5.2 पर Railway locomotive work shop/ Integrated road transport workshop/ Authorized service centers (wastewater generation <10 KLD) आरेन्ज श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है, जिसके स्थापना हेतु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (सी०टी०ई) प्राप्त नहीं की गयी है, जबकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व स्थापनार्थ सहमति (CTE) एवं संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति जल/वायु (CTO) प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(जे०पी० मौर्य)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

क्षेत्रीय कार्यालय

Regional Office

संदर्भ सं०

Ref. No. 115/ओ०ए०/१३५/२०/२६

दिनांक :

Dated 24-4-26

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-135/2026 Ashish Singh Vs. State of U.P. and Others में पारित आदेश दिनांक 17/03/2026 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-135/2026 Ashish Singh Vs. State of U.P. and Others में पारित आदेश दिनांक 17/03/2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा लखनऊ के आई०आई०एम० रोड स्थित वार्ड फैंजुल्लागंज, चतुर्थ क्षेत्र की बालाजी एन्क्लेव कालोनी के अंतर्गत LSA (RAMKY) कम्पनी द्वारा कूड़ा निस्तारण/चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जाने से पर्यावरणीय प्रदूषण एवं जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की शिकायत प्रस्तुत की गयी है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/03/2026 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी द्वारा नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ के साथ पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ की उपस्थिति में संदर्भित शिकायती स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 18/04/2026 को किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम की कार्यदायी संस्था मैसर्स लखनऊ स्वच्छता अभियान प्रा०लि० द्वारा स्थल विकास का कार्य प्रगति पर पाया गया। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि श्री अभय रंजन, रीजनल डायरेक्टर, मो० नं०-9650409990 द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में प्रश्नगत स्थल पर इलेक्ट्रिकल वाहनों के चार्जिंग स्टेशन व नगरीय ठोस अपशिष्ट कम्पैक्टर एण्ड ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि शिकायती स्थल पर नगर निगम, लखनऊ द्वारा स्थापित की जा रही व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण व पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रस्तावित कार्यों के विवरण सहित सूचनायें नगर निगम, लखनऊ से प्राप्त कर ली जाये, जिससे संकलित सूचनाओं सहित वास्तविक आख्या मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि उक्त वर्णित सूचनायें इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रकरण पर अगली सुनवायी दिनांक 18/05/2026 नियत है।

भवदीय

(जे०पी० मौर्य)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1-नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

**NAGAR NIGAM LUCKNOW**

From, Environment Engineer Lucknow Municipal Corporation Triloknath Marg, Lucknow	To, The Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
Letter No.: - D/ISS/EE/26-27	Date: 11 May 2026
Subject: - Regarding compliance with the order dated 17/03/2026 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A. No. 135/2026 (Ashish Singh & Ors. vs. State of U.P. & Ors.).	

Reference: Your office letter no. 115/AO135/26/26 dated 24/04/2026.

Respected Sir,

With reference to your letter cited above and the joint inspection conducted on 18/04/2026 at the site located near Balaji Enclave Colony, Ward Fazullaganj-IV, IIM Road, please find the detailed information regarding the proposed facilities and the environmental safeguards:

- 1. Joint Inspection and Public Briefing:** In compliance with the Hon'ble NGT's directions, a joint inspection was conducted on 18/04/2026 under the supervision of the City Magistrate, Lucknow, representing the District Administration. The undersigned (Environment Engineer, LMC) was present during the inspection alongside the Regional Officer, UPPCB. During this process, the comprehensive project proposal was shared with the committee members of the Balaji Enclave Colony, who were briefed on the technical specifications and the environmental safeguards planned for the site.
- 2. Attendance of Representatives:** The site development work is being carried out by the concessionaire, M/s Lucknow Swachhata Abhiyan (RAMKY). Their representative, Mr. Abhay Ranjan (Regional Director), was also present during the inspection to provide clarifications on the project components.
- 3. Future Capacity and Infrastructure:** While the site is currently under development, it is designed to include the following facilities upon completion:

- **Fixed Compactor Transfer Station (FCTS):** The facility will have an approximate capacity of 100 TPD.
 - **Machinery:** It will be equipped with 03 electric stationary compactors and 06 capsules (each with a 29 m³ storage capacity), allowing for separate compaction of dry and wet waste.
 - **Charging Station:** A dedicated station for charging door-to-door waste collection vehicles and mechanical sweepers.
 - **Maintenance & Welfare:** The site will include a small tool room for vehicle maintenance and repair, a rest room for sanitary workers, a vehicle washing station, and a porta-cabin office with toilet facilities for workers.
 - **Authorization and Land Ownership:** It is formally clarified that this facility is being established by the authorized concessionaire, acting under the express instructions and directives of the Lucknow Municipal Corporation (LMC). Furthermore, the project is being developed on Urban Ceiling Land owned by the LMC. On this land, a transfer station and charging points are being constructed in accordance with regulatory requirements and prevailing rules, both of which are fully authorized for public utility purposes.
- 4. Proposed Operational Mechanism:** Upon completion, waste will be stored in closed containers for a limited duration (4–5 hours) before transfer, preventing any open dumping or long-term accumulation.
- 5. Environmental & Leachate Protection:** The completed station will feature a dedicated drainage system to capture leachate during the compaction process. This leachate will be collected in a closed underground tank and subsequently transported via sucker machines to the Shivri Leachate Treatment Plant for scientific disposal.
- 6. Technical Capacity:** The facility is designed for a capacity of approximately 100 TPD. It will be equipped with three electric stationary compactors and six capsules (29m³ each) to ensure the separate handling of dry and wet waste.
- 7. Green Initiatives & Screening:** To mitigate environmental impact, the following measures will be completed:
- A 6-foot wide green belt will be developed along the internal periphery of the station.
 - A 10-foot high boundary wall will be constructed to provide a visual and dust barrier for the surrounding colony and roadside.



- LMC will develop a small park on the adjacent barren land for the benefit of the local community.
- 8. Infrastructure Improvement:** To address local concerns, LMC is preparing a proposal for road widening in the area to ensure smooth traffic movement for both municipal vehicles and the public.

Enclosures:

1. Attendance Sheet and Photographs of the joint site inspection dated 18/04/2026.
2. 3D Master Plan/Drawing and technical specifications of the under-construction Transfer Station at SD Palace /Balaji Enclave.

This information is submitted for your perusal so that a factual and comprehensive report can be presented before the Hon'ble National Green Tribunal.

Regards


(Sanjeev Pradhan)
Environment Engineer
Lucknow Municipal Corporation

Copy to (For your kind information) :-

1. Municipal Commissioner, LMC.
2. Additional Municipal Commissioner (PS), LMC.


Environment Engineer
Lucknow Municipal Corporation




एस0 डी0 पैलेस (ज़ोन – 03)

स्थित फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (FCTS)

एवं चार्जिंग इन्फ्रा से संबंधित विस्तृत जानकारी निम्नवत हैं।

1. 03 - बिन फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (FCTS) का निर्माण ठोस कूड़े के संग्रहण एवं परिवहन हेतु किया जा रहा है।
2. फास्ट चार्जिंग स्टेशन का निर्माण रोड स्वीपिंग मशीनों तथा डोर टू डोर वाहनों के चार्जिंग हेतु किया जा रहा है जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 60-70 होगी।
3. एक छोटा टूल रूम तथा एक Sick रूम का निर्माण किया जा रहा है।
4. एक वाहनों का वाशिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है।
5. एक पोर्टा केविन ऑफिस तथा कर्मचारियों के लिए एक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है।
6. परिसर में चारों तरफ हरित पट्टी का निर्माण किया जाएगा।





REF PLAN
REF-102

FOR APPROVAL

The approval of this plan is subject to the following conditions:
1. The approval of this plan is subject to the approval of the relevant authorities.
2. The approval of this plan is subject to the approval of the relevant authorities.
3. The approval of this plan is subject to the approval of the relevant authorities.

GENERAL NOTES:
1. ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ALL NECESSARY APPROVALS FROM THE RELEVANT AUTHORITIES.
3. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ALL NECESSARY APPROVALS FROM THE RELEVANT AUTHORITIES.
4. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ALL NECESSARY APPROVALS FROM THE RELEVANT AUTHORITIES.

COORDINATES
Latitude: 28°05'34.73"N
Longitude: 80°55'15.2"E

ITEMS LIST

ITEM NO.	DESCRIPTION OF ITEM	UNIT	QTY.	REMARKS
1	3 INCH PCD SISED	28.10 x 28.00 sq	1	PER
2	TOILET BLOCK	6.40 x 3.00 sq	1	POC
3	SECURITY POST (SPORA CASS)	1.00 x 1.00 sq	1	---
4	TOOL ROOM	3.00 x 2.00 sq	1	POC
5	OFFICE/STORAGE CASS	12.00 x 3.00 sq	1	---
6	VEHICLE WASH	12.00 x 3.00 sq	1	---
7	UNDER GROUND SUMP 27 KL	3.00 x 3.00 sq	1	POC
8	ELECTRICAL PANEL ROOM	6.00 x 3.00 sq	1	POC
9	APPE ROOM	3.00 x 3.00 sq	1	POC

AREA SCHEDULED

REF. NO.	MODERN	DESCRIPTION	AREA M. SQR	PERIMETER M. SQR
1	PROPOSED	FACILITY/PLAY AREA (2.22 ACRE)	9390.27	409.00
2	BOUNDARY WALL/ENCLOSURE	---	---	400.00
3	1.5% MIN. THICK. CONC. PAVEMENT/ROAD	---	---	4200.00
4	STORM WATER DRAIN	---	---	400.00
5	BORE WELL	1 BORE	---	---
6	GREEN BELT	---	---	---

LEGEND:
 ELECTRICAL POLE
 EXISTING M.V.C.C. ROAD

SPICHOV MUNICIPAL CORPORATION (SMC)
SPICHOV, UTTAR PRADESH

SPICHOV MNC

SPICHOV MNC C&E
SPICHOV, UTTAR PRADESH

MAKER SIGNATURE OF PROPOSED 3 INCH PCD, 28MTR VILLAGE, ROAD TO BELA (TO-04), SHEET 2

DATE: 05/05/2024

DESIGN BY	APPROVED BY	SCALE
DATE	CHECKED BY	DRAWN BY

The approval of this plan is subject to the following conditions:
1. The approval of this plan is subject to the approval of the relevant authorities.
2. The approval of this plan is subject to the approval of the relevant authorities.
3. The approval of this plan is subject to the approval of the relevant authorities.

MASTER LAYOUT
SCALE-1:200











क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

दिनांक-19-5-26

सन्दर्भ सं०-193/रिड मायिका-266/26

सेवा में,

पर्यावरण अभियन्ता,
नगर निगम,
लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-135/2026 Ashish Singh Vs. State of U.P. and Others में पारित आदेश दिनांक 17/03/2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या-डी/155/ईई/2026-27 दिनांक 11/05/2026, जोकि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 24/04/2026 के अनुक्रम में प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया कि परियोजना स्थल निकट-बालाजी एन्क्लेव कालोनी, आई०आई०एम०रोड स्थित वार्ड फैंजुल्लागंज-4, लखनऊ में नगरीय ठोस अपशिष्ट के फिक्स्ड कम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन (FCTS) (क्षमता 100 टन/दिन), 03 विद्युत चालित स्थिर कम्पेक्टर तथा 06 कैप्सूल (प्रत्येक की क्षमता 20 घनमीटर) स्थापित किये जाने के साथ-साथ परियोजना में वाहनों की सर्विसिंग एवं वाहनो की धुलाई केंद्र (वाशिंग सेण्टर) भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया अवगत हों कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या-CP-18/1/2023-IPC-VI-HO-CPCB-HO दिनांक 12/02/2026 के माध्यम से उद्योगों को श्रेणीवार विभाजित किया गया है, जिसके अन्तर्गत वाहनों की सर्विसिंग एवं वाहनो की धुलाई केंद्र (वाशिंग सेण्टर) गतिविधि सूची के क्रम संख्या-5.2 पर Railway locomotive work shop/ Integrated road transport workshop/ Authorized service centers (wastewater generation <10 KLD) आरेन्ज श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है, जिसके स्थापना हेतु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (सी०टी०ई) प्राप्त नहीं की गयी है, जबकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व स्थापनार्थ सहमति (CTE) एवं संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति जल/वायु (CTO) प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(जे०पी० मौर्य)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी